3

हुक्म मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रकरण संख्या :– 75/2020** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22/3/22 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार प्रार्थी का नाम जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 484 में गिरधारी पु0 रामेश्वर हिस्सा 1/30 व गिरधारी लाल पुत्र रामेश्वर लाल हिस्सा 1/12 दर्ज है। प्रार्थी का नाम गिरधारीलाल पु0 रामेश्वरलाल जरिये विक्रय पत्र नामान्तकरण संख्या 408 दिनांक 31.10.2010 से आया है व गिरधारी पु0 रामेश्वर हिस्सा 1/30 जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 437 दिनांक 16.03.2011 से आया है। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रार्थी का गिरधारीलाल पुत्र रामेश्वर लाल जाति माली हिस्सा 7/60 का शुद्धिकरण करने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित की है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तहसील मंडावा के ग्राम मंडावा की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 484 में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 व 1/30 के स्थान पर 7/60 करने बाबत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसील मंडावा के ग्राम मंडावा की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 484 में प्रार्थी श्री गिरधारी लाल पुत्र रामेश्वर लाल का अलग–अलग हिस्सा 1/30 व 1/12 के स्थान पर हिस्सा 7/60 शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार मंडावा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)